INDEX

Starred Assembly Question No.*111

Sr. No.	Description	Page No.
1.	Reply of Starred Assembly Question No.*111 in English Version	1
2.	Note for Pad of Starred Assembly Question No.*111 in English Version	2-8
3.	Reply of Starred Assembly Question No.*111 in Hindi Version	9
4.	Note for Pad of Starred Assembly Question No.*111 in Hindi Version	10-16

****

***111. Sh. Rakesh Daultabad, M.L.A.**

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to amend the Haryana Registration and Regulation of Societies Act?

Reply

Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana.

Yes sir, proposal of amendment is under consideration.

NOTE FOR PAD

It is informed that the Department was implementing the Central Act namely Societies Registration Act, 1860. However, the State Government has further enacted the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 for issuing registration and regulating the functions of the Societies established in the State. The Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 notified by the government on 29.03.2012 and its Rules were notified on 21.06.2012 and various amendments has been done in the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 and the Rules made there under.

It is also submitted that after careful deliberation in the meeting held on 17.01.2023 under the chairmanship of Hon'ble Deputy Chief Minister, Haryana, the authorities observed to make changes in the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (hereinafter called in short HRRS Act, 2012) wherever required to minimize the disputes in the Societies registered in the State. Thus, it is proposed that following amendments may be made to minimize the dispute in the registered societies:-

1. After sub-section (xxvi) of section 2 of the principal act, the following sub-sections shall be added, namely:-

   "(xxvii) "Website" means a collection of web pages and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server and includes Bye Laws and Memorandum of the Society, register of members, minutes of Governing and General body meetings, copy of annual budget, audit reports, returns, annual returns and other statutory returns."

   "(xxviii) "Electronic Voting" means where the voter submits his or her vote electronically to the Returning Officer, from any location using computers connected to the Internet or standalone electronic voting machines (EVM). The procedure will be finalized by the society in such a manner that it does not violate any provision of the Act and the secrecy of the elections."

2. At the end of sub-section (5) of section 9 of the of principal act, the following shall be added, namely:-

   "Provided such society has not obtained land from the Government at concessional rates/by acquisition at public expenses or funds generated from public by way of donation".

3. In the section 15 of the principal act, the following provision shall be inserted at the end, namely:-

   "However, if any society is registered as a Resident Welfare Association or Group Housing Society or Apartment Owners Association or with aims and objects as per clause (x), section 6 of the act then such a society shall not prescribe any kind of membership fee or annual subscription in its Bye-laws for its members. Provided they meet all other eligibility condition for becoming members as prescribed in Act."

4. The provision for sub-section (3) of section 18 of the principal act, the following provision shall be substituted as under:-

"(3) The Society shall mandatorily file an updated list of members, separately showing the inclusions and deletions, if any, every six months with District Registrar in physical or electronic mode, as may be prescribed and also on the Website of the society within 30 days of the close of the six months period."

5. In the sub-section (2) of section 20 of the principal act, the following provision shall be inserted at the end, as under:-

"However, in case of member of Resident Welfare Association or Group Housing Society or Apartment Owners Association or with aims and objects as per clause (x), section 6 of the act, the person shall not be in arrears of monthly/quarterly/annual common area maintenance charges due to the Society, to have the right to exercise his vote in person."

6. The provision for sub-section (3) of section 20 of the principal act, the following provision shall be substituted, as under:-

"(3) Every member shall have the right to inspect without fee and seek photocopy of the books of accounts (including cash book/vouchers/daily entries), books containing the minutes of proceedings of meetings of the Governing Body on any working day during business hours."

7. For sub-section (3), (4) and (5) of section 21 of the principal act, the following provisions shall be substituted, as under:-

"(3) Upon receipt of any such petition, the District Registrar shall consider the matter and settle the disputes in accordance with this Act, within ninety days after giving opportunity of hearing to all concerned. If any concerned party does not attend the hearing (either in person or through a representative) ex- party decision shall be made by the District Registrar."

"(4) Where the Byelaws are observed to be silent or lack of clarity for addressing the dispute or are inconsistent with provisions of the Act and the rules made there under, the District Registrar shall decide the matter within ninety days in accordance with the provisions contained in the rules there under."

"(5) Where the Society has large number of members and it is considered expedient to verify, determine and establish the identity and genuineness of such members, the District Registrar may require all members of the Society to appear before him in person along with an acceptable proof of identity and address, as recorded in the register of members, within ninety days."

8. After sub-section (2) of section 26 of the principal act, the following provision shall be added, namely:-

"The society shall place all such amendments done in the memorandum or bye-laws on the website of the society within thirty days from the date of approval thereof."

9. For sub–section (3) and (4) of section 29 of the principal act, the following provisions shall be substituted, namely:-

"(3) The quorum for the meeting of the General Body shall not be less than forty percent of the total members entitled to vote and present in person subject to a minimum of four members.

Provided that in case the meeting of General Body is adjourned for want of the quorum, the quorum for such adjourned meeting shall be of thirty three percent of the total members entitled to vote and present in person subject to a minimum of four members.

Provided further that in case such meeting is adjourned for a second time for want of the reduced quorum of thirty three percent, the quorum for such adjourned meeting shall be twenty-five percent of the members entitled to vote and present subject to a minimum of four.

(4) Every member shall have one vote and shall cast his vote in person or through Electronic Voting (e-voting) as allowed and approved by the District Registrar."

10. For sub-section (1) of section 31 of the principal act, the following provision shall be substituted, as under:-

"(1) An annual general meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, may be held as and when required. However, at least one meeting of the General Body or the Collegium, as the case may be, shall be held during the year and mandatorily before the election of the Governing Body and or the Collegium, in which theaccounts of the Society, duly audited and in presence of the Chartered Accountant or its representative, shall be placed before the members for adoption."

11. For sub-Section (3) of Section 32, the following sub-section shall be substituted, namely: -

"(3) Where the membership of a society under clause (i) or (ii) of the sub-section (1) exceeds two thousand, the Governing Body shall prepare a scheme of determination of the electoral colleges in accordance with the principles as may be prescribed for holding elections to the collegium and place the same for reconsideration of its members as a special resolution with consequential amendment to its Bye-laws."

12. After sub-section (1) of section 33 of the principal act, the following provision shall be added, namely:-

"Provided that one-third of all the elected office bearers shall be women."

13. For sub-section (3) of the section 33 of the principal act, the following provision shall be substituted, as under:-

"(3) The tenure of the Governing Body shall generally not exceed three years. However, tenure of such State level sports Associations which are affiliated with National Sports Federations, in order to align themselves with the National Sports code, may be extended upto a total of four years. The matters pertaining to the re-election of any officer-bearer shall be regulated in accordance with the Byelaws within the ambit of the Act."

14. After sub-section (2) of section 34 of the principal act, the following provision shall be added, namely:-

"(3) The tenure of any member contesting for the post of an office bearer shall be limited to two consecutive terms and the said member shall be eligible to re-contest the elections only after a gap of one term. (Cooling-off period)."

15. For section 35 of the principal act, the following shall be substituted, namely:-

"A person shall be disqualified from continuing as an office-bearer as soon as he ceases to be member of the society or any corrupt practice has been committed by such office-bearer(s) in violation of the provisions of section 72, 73 and 74 of this Act."

16. After sub-section (2) of section 36 of the principal act, the following sub- section shall be added, namely:-

"(3) Minutes of meeting and any resolution passed by the Governing Body during any of its meetings shall be mandatorily placed on the website of the society within thirty days of passing such resolution."

17. For sub-section (2), (3), (10) and (12) of section 39 of the principal act, the following provisions shall be substituted, as under:-

"(2) The process of elections of the Governing Body and/or the Collegium shall be commenced, in so far as possible, three months prior to the due date so that the newly elected Governing Body is in place on or before the due date."

"(3) On the day the elections of the Society are notified, the Governing Body or the ad hoc body or the Administrator, as the case may be, shall publish list of eligible voters on the notice board (s) and website of the society. Such list of members shall also be made available to the members on demand through electronic mode."

" (10) Where the elections of the Governing Body are not held by the due date, for whatsoever reason, the District Registrar may constitute an Adhoc Committee or appoint an Administrator to manage the affairs of the Society, immediately upon the

expiry of the due date, for the intervening period and for conducting the elections of the Governing Body, provided that District Registrar shall appoint Adhoc Committee or Administrator for a period not exceeding six months and no extension will be allowed without prior approval of State Registrar. Adhoc Committee or Administrator will not be competent to enrol or expel any member of the society."

"(12) The returning officer appointed by the District Registrar shall ensure a minimum notice of fifteen days to all the members, served individually through electronic mode such as e-mail, SMS or through a public notice, at the expense of the society for the information of all members."

18. After sub-section (14) of section 39 of the of principal act, the following provision shall be added, namely:-

"(15) If, after the counting of the votes is completed, an equality of votes is found to exist between any candidates, and the addition of one vote will entitle any of those candidates to be declared elected, the returning officer/observer shall forthwith decide between those candidates by lot and proceed as if the candidate on whom the lot falls had received an additional vote."

19. For sub-section (1) of section 40 of the principal act, the following provision shall be substituted, namely:-

"(1)Where a dispute or doubt arises with regards to election or continuance in the office of any elected member in the collegium or in the Governing Body, the District Registrar or at least one fourth of the members of the General body and if there is need to constitute the collegium, then the District Registrar or at least one fourth members of the collegium, may refer to the dispute or doubt by moving a reference or petition before the Registrar, within 30 days from the date of declaration of result and the Registrar shall decide the same and pass such orders, as he may deem fit, preferably within a period of ninety days but not later than one hundred twenty days."

20. For sub-section (2) of section 47 of the principal act, the following provision shall be substituted, namely:-

"(2) The books of accounts and documents relating to other proceedings and internal processes of the working of the society shall be accessible and open to inspection during the business hours by its members, Registrar General, Registrar, District Registrar or any officer authorized by them."

21. For sub-section (9) of section 54 of the principal act, the following shall be substituted, as under:-

"(9) If the inquiry is held by a person other than the District Registrar then he shall send the report to the District Registrar and the District Registrar shall make a report

to the Registrar along with his recommendations at the earliest and not later than within sixty days of submission of the report by the inquiry officer. If the inquiry is held by the District Registrar himself, he shall immediately on completion of the inquiry forward the report to the Registrar along with his recommendations. The District Registrar may also appoint a Chartered Accountant for conducting Special Audit of accounts of the society at expenses of the society wherever required".

22. For sub-section (i) of section 55 of the principal act, the following provision shall be inserted at the end, as under:-

"within sixty days of the receipt of such report."

23. At the end of section 72 of the principal act, before"." the following words shall be added: -
"subject to maximum of Rs. Twenty thousand."

24. The provision under section 74 of the principal act shall be substituted, as under:-

"If an office-bearer knowingly or willingly makes a false return or furnishes false information or wilfully or without any reasonable reason, disobeys any summons, requisition, or other lawful order or direction issued under the provisions of the Act or withholds or fails to furnish any information lawfully required from him by the District Registrar, Registrar or Registrar General or person authorized in this behalf under the provisions of the Act, shall be punishable with fine which may extend to twenty thousand rupees, and in case of continuing default or contravention, with fine which may extend to five hundred rupees for every day during which the default or contravention continues and such erring person/s may be removed from position in the Governing Body or Membership of the society forthwith."

25. For sub-section (1) and (2) of section 83 of the principal act, the following provisions may be substituted, as under:-

"(1) All documents filed by a Society with the District Registrar under the act shall be deemed to be public documents and can be accessed by any citizen under the provisions of the Right to Information Act, 2005."

"(2) To that extent, every society registered under the Act shall be deemed to be a public office and shall mandatorily implement the provisions of Right to Information Act, 2005 by appointing of Public Information Officer (PIO) and First Appellate Authority and shall be liable to supply the requisite information to its members against the fee prescribed under the Haryana Right to Information Rules amended from time to time."

26. The above proposal for amendments in the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012, has already submitted to the Government for obtaining approval of the Hon'ble CM and thereafter the legal vetting would be carried out by the LR

Haryana before placing the proposed amendments in the meeting of CMM. The exemption from Hindi version of Memorandum may also be granted. Therefore the proposal of amendments is under consideration.

****

***111 श्री राकेश दौलताबाद, विधायक**

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

<u>जवाब</u>

दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा।

जी हां, संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पैड के लिए नोट

यह सूचित किया जाता है कि विभाग केंद्रीय अधिनियम अर्थात् सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 को लागू कर रहा था। हालांकि, राज्य सरकार ने आगे पंजीकरण जारी करने और राज्य में स्थापित सोसायटी के कार्यों को विनियमित करने के लिए हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 का अधिनियमिन किया है। सरकार द्वारा 29.03.2012 को हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 को अधिसूचित किया गया और इसके नियमों को 21.06.2012 को अधिसूचित किया गया।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उपमुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता मे 17.01.2023 को आयोजित बैठक में सावधानीपूर्वक विचार–विमर्श के बाद, अधिकारियों ने राज्य में पंजीकृत सोसायटी में विवादों को कम करने के लिए हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 (संक्षिप्त एचआरआरएस अधिनियम, 2012) में बदलाव करने के लिए कहा। इस प्रकार, यह प्रस्तावित है कि पंजीकृत सोसायटियों में विवाद को कम करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं:–

1. मूल अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (xxvi) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धाराएँ जोड़ी जाएँ, अर्थात–

"(xxvii) "वेबसाइट" का अर्थ वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह है जिसे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है और इसमें सोसायटी के उपनियम और ज्ञापन, सदस्यों का रजिस्टर, शासन और सामान्य निकाय की बैठकों की कार्यवृत, वार्षिक बजट की प्रति, ऑडिट रिपोर्ट, रिटर्न, वार्षिक रिटर्न और अन्य वैधानिक रिटर्न शामिल होते हैं।"

"(xxviii) "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग" का अर्थ है जहां मतदाता इंटरनेट या स्टैंडअलोन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़े कंप्यूटर का उपयोग करके किसी भी स्थान से रिटर्निंग ऑफिसर को अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करता है। प्रक्रिया को समाज द्वारा इस प्रकार अंतिम रूप दिया जायेगा कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान और चुनाव की गोपनीयता का उल्लंघन न हो।"

2. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (5) के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात–

"बशर्ते कि ऐसी सोसायटी ने सरकार से रियायती दरों पर/सार्वजनिक व्यय पर अधिग्रहण करके या दान के माध्यम से जनता से उत्पन्न धन प्राप्त करके भूमि प्राप्त नहीं की हो।"

3. मूल अधिनियम की धारा 15 में, अंत में निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात –

"हालांकि, यदि कोई सोसायटी एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के रूप में या अधिनियम की धारा 6 के खंड (x) के अनुसार पंजीकृत है, तो ऐसी सोसायटी इसके उपनियमों में किसी भी प्रकार की

सदस्यता शुल्क अथवा वार्षिक सदस्यता निर्धारित नहीं करेगी । बशर्ते वे अधिनियम में निर्धारित, सदस्य बनने के लिए अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।"

4. मूल अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (3) के लिए प्रावधान, निम्नलिखित प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"(3) सोसायटी मे शामिल किए गए तथा हटा दिए गए, यदि कोई हों, को पृथक रूप से दर्शाते हुए सदस्यों की अद्यतन सूची हर छह महीने की समाप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर यथा विहित भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक ढंग में जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर करेगी।"

5. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (2) के अन्त में निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जायेगा, जो निम्नानुसार हैः–

"हालांकि, यदि कोई सोसायटी एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के रूप में या अधिनियम की धारा 6 के खंड (x) के अनुसार पंजीकृत है, तो सोसाइटी को देय मासिक/ त्रैमासिक/वार्षिक रख–रखाव शुल्क के भुगतान बकायों के ना रहने पर ही सदस्य व्यक्तित्व रूप से अपने मत का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।"

6. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"(3) प्रत्येक सदस्य को किसी भी कार्य दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान खातों की किताबों (कैश बुक/वाउचर/दैनिक प्रविष्टियों सहित), शासकीय निकाय की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत रखने वाली पुस्तकों का बिना शुल्क के निरीक्षण करने और फोटोकॉपी मांगने का अधिकार होगा।"

7. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाएंगे, जो निम्नानुसार हैंः–

"(3) किसी ऐसी याचिका की प्राप्ति पर जिला रजिस्ट्रार सभी संबंधित को सुनवाई का अवसर देने के बाद उप–विधियों के अनुसार मामले पर विचार करेगा तथा विवादों का निपटान 90 दिन के भीतर करेगा। यदि कोई संबंधित पक्ष सुनवाई में शामिल नहीं होता है (या तो व्यक्तिगत रूप से या एक प्रतिनिधि के माध्यम से) जिला रजिस्ट्रार द्वारा एकपक्षीय निर्णय किया जाएगा।"

"(4) जहां उपविधियां विवाद का सम्बोधन करने के लिए खामोश या स्पष्टता की कमी के रूप में समझी गई हैं या अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत है, वहां जिला रजिस्ट्रार अधिनियम यह इसके अधीन बनाए गए नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार 90 दिनों के भीतर मामले निपटान करेगा।"

"(5) जहां सोसायटी में बड़ी संख्या में सदस्य हैं और ऐसे सदस्यों की पहचान और वास्तविकता को सत्यापित, निर्धारित और स्थापित करना समीचीन माना जाता है, वहां जिला रजिस्ट्रार सोसायटी के सभी सदस्यों से सदस्यों के रजिस्टर में यथा विहित 90 दिन के भीतर तथा ऐसी रीति में यथा अभिलिखित पहचान तथा सविकार्य सबूत के साथ –साथ वैयक्तिक रूप से उसक समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षा करेगा।"

8. मूल अधिनियम की धारा 26 की उप–धारा (2) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थातः–

"समिति ज्ञापन या उपनियमों में किए गए ऐसे सभी संशोधनों को उसके अनुमोदन की तिथि से तीस दिनों के भीतर समिति की वेबसाइट पर डाल देगी।"

9. मूल अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान रखे जाएंगे, अर्थातः–

"(3) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी जो वोट देने के लिए अधिकृत हों और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, बशर्ते न्यूनतम चार सदस्य हों।

बशर्ते कि यदि सामान्य निकाय की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाती है, ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति मत डालने के लिए हकदार सदस्यों तथा न्यूनतम चार के अध्यधीन उपस्थित व्यक्तियों का 33 प्रतिशत से कम नही होगी।

बशर्ते यदि ऐसी बैठक 33 प्रतिशत गणपूर्ति का अभाव होने से दूसरी बार स्थगित की जाती है, तो ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति मत डालने के लिए हकदार सदस्यों तथा न्यूनतम चार के अध्यधीन उपस्थित व्यक्तियों का 25 प्रतिशत होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा और वह अपना वोट व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) के माध्यम से देगा जैसा कि जिला रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति और अनुमोदित है।"

10. मूल अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो निम्नानुसार हैः–

"(1) सामान्य निकाय या कॉलेजियम की एक वार्षिक आम बैठक, जैसा भी मामला हो, आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जा सकती है। हालांकि, सामान्य निकाय या कॉलेजियम, जैसा भी मामला हो, की कम से कम एक बैठक वर्ष के दौरान और अनिवार्य रूप से शासकीय निकाय और या कॉलेजियम के चुनाव से पहले आयोजित की जाएगी, जिसमें सम्यक् रूप से लेखा–परीक्षित सोसायटी के वार्षिक लेखे अपनाने के लिए सदस्यों के सम्मुख रखे जाएंगे।"

11. धारा 32 की उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(3) जहां उप–धारा (1) के खंड (i) या (ii) के तहत एक सोसायटी की सदस्यता दो हजार से अधिक है, वहां शासकीय निकाय कॉलेजियम के निर्वाचन को करवाने के लिए यथा विहित नियमों के अनुसार निर्वाचकगण के अवधारण की स्कीम तैयार करेगा तथा उसे इसकी उप–विधियों के परिणामिक संशोधन सहित विशेष संकल्प के रूप में इसके सदस्यों के विचारण के लिए रखेगा।"

12. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थातः–

"बशर्ते सभी निर्वाचित पदाधिकारियों में से एक तिहाई महिलाएँ हों।"

13. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो निम्नानुसार हैः–

"(3) शासकीय निकाय की पदाअवधि आम तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा। हालांकि, ऐसे राज्य स्तरीय खेल संघों का कार्यकाल जो राष्ट्रीय खेल संघों से संबद्ध हैं, खुद को राष्ट्रीय खेल संहिता के साथ संरेखित करने के लिए, कुल चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी पदाधिकारी के पुनर्निर्वाचन से संबंधित मामलों को अधिनियम के दायरे में उपनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।"

14. मूल अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (2) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थातः–

"(3) पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले किसी भी सदस्य का कार्यकाल लगातार दो कार्यकाल तक सीमित होगा और उक्त सदस्य एक कार्यकाल के अंतराल के बाद ही दोबारा चुनाव लड़ने का पात्र होगा। (कूलिंग ऑफ पिरियड़)।"

15. मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"एक व्यक्ति को एक पदाधिकारी के रूप में जारी रखने से अयोग्य होगा जैसे ही वह सोसायटी के सदस्य के रूप में नही होता या ऐसे पदाधिकारी के भ्रष्ट आचरण द्वारा धारा 72, 73 या 74 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो।"

16. मूल अधिनियम की धारा 36 की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाए, अर्थातः–

"(3) बैठक के कार्यवृत्त और शासकीय निकाय द्वारा अपनी किसी भी बैठक के दौरान पारित किए गए किसी भी प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से इस तरह के प्रस्ताव को पारित करने के तीस दिनों के भीतर सोसायटी की वेबसाइट पर रखा जाएगा।"

17. मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (2), (3), (10) और (12) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाएंगे, जो निम्नानुसार हैंः–

"(2) सोसायटी के कॉलिजियम/शासकीय निकाय के निर्वाचन की प्रक्रियां जहां तक सम्भव हो, नियत तिथि से 3 मास पूर्व प्रारम्भ की जाएगी ताकि नया चयनित शासकीय निकाय नियम तिथि को या से पूर्व स्थान ले सके।"

"(3) जिस दिन सोसायटी के चुनाव अधिसूचित किए जाते हैं, शासी निकाय या तदर्थ निकाय या प्रशासक, जैसा भी मामला हो, योग्य मतदाताओं की सूची नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। सदस्यों की ऐसी सूची इसकी उपविधियों में सोसयटी द्वारा सदस्य को मांग पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी।"

"(10) जहां शासकीय निकाय के चुनाव किसी भी कारण से नियत तारीख तक नहीं होते हैं, वहां जिला रजिस्ट्रार एक तदर्थ समिति का गठन कर सकता है या नियत तिथि की समाप्ति पर मध्यवर्ती अवधि के लिए और शासकीय निकाय के चुनाव कराने के लिए तुरन्त सोसायटी के कार्याकलापों के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना तदर्थ समिति या प्रशासक की अवधि को 6 महिने से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दे सकता। तदर्थ समिति या प्रशासक सोसायटी के किसी भी सदस्य की भर्ती या निष्कासन करने के लिए सक्षम नहीं होगा।"

"(12) जिला रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी सदस्यों की सूचना के लिए सोसायटी के खर्च पर जहां सम्भव हो सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप में तामील नोटिस, सार्वजनिक नोटिस या इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ई–मेल, एसएमएस के माध्यम से कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस सुनिश्चित करेगा।"

18. मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (14) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थातः–

"(15) यदि मतों की गणना पूरी होने के बाद यह पता चलता है कि किन्ही अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर है और एक मत के जोड़ देने से उनमें से कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित हो जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी/पर्यवेक्षक तुरन्त उन उम्मीदवारों के बीच लॉट द्वारा तत्क्षण विनिश्चय करेगा और इस ऐसे अग्रसर होगा मानों जिस अभ्यर्थी के हक में लॉट निकली हो उसे एक अतिरिक्त वोट मिला हो।"

19. मूल अधिनियम की धारा 40 की उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(1) जहां कॉलेजियम या शासकीय निकाय, जिला रजिस्ट्रार या सामान्य निकाय के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के चुनाव या कार्यालय में किसी निर्वाचित सदस्य के पद पर बने रहने के संबंध में कोई विवाद या संदेह उत्पन्न होता है और यदि कॉलेजियम का गठन करने की आवश्यकता है, तो जिला रजिस्ट्रार या कॉलेजियम के कम से कम एक चौथाई

सदस्य रजिस्ट्रार के समक्ष एक संदर्भ या याचिका दायर करके विवाद या संदेह का उल्लेख कर सकते हैं, परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर और रजिस्ट्रार इसका फैसला करेगा और इस तरह के आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे, अधिमानतः 90 दिनों की अवधि के भीतर लेकिन एक सौ बीस दिनों के बाद नहीं।"

20. मूल अधिनियम की धारा 47 की उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(2) लेखा पुस्तकें, सोसायटी के कामकाज की आंतरिक प्रक्रियाओं से संबंधित खातों की किताबें और दस्तावेज अपने सदस्यों, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।"

21. मूल अधिनियम की धारा 54 की उप–धारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो निम्नानुसार हैः–

"(9) यदि जांच जिला रजिस्ट्रार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वह जिला रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगा और जिला रजिस्ट्रार 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट भेजेगा। यदि जांच स्वयं जिला रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है, तो वह जांच पूरी होने पर तुरंत अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा। जिला रजिस्ट्रार, जहां भी आवश्यक हो, सोसायटी के खर्चों पर सोसायटी के खातों की विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट भी नियुक्त कर सकता है।"

22. मूल अधिनियम की धारा 55 की उप–धारा (i) के अंत में निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जाएगा, जो निम्नानुसार हैः–

"ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर।"

23. मूल अधिनियम की धारा 72 के अंत में, इससे पहले"।"निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगेः–

"अधिकतम जुर्माना बीस हजार रुपये तक होगा।"

24. मूल अधिनियम की धारा 74 के तहत प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"यदि कोई पदाधिकारी जानबूझकर या स्वेच्छा से गलत रिटर्न देता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है या जानबूझकर या बिना किसी उचित कारण के, अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए किसी समन, मांग, या अन्य कानूनी आदेश या निर्देश की अवहेलना करता है या अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल या इस निमित्त प्रधिकृत व्यकि द्वारा उससे विधिपूर्ण अपेक्षित कोई सूचना प्रस्तुत करने से रोकता है या प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो जुर्मान से जो बीस हजार रुपये तक हो सकता है, तथा निरन्तर व्यक्तिक्रम या उल्लंघना की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान व्यक्तिक्रम या उल्लंघना जारी रहती है, जुर्मान से जो 500 रूपये तक बढ़ाया

जा सकता है, दंड़नीय होगा और ऐसे गलती करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को शासकीय निकाय या सोसायटी की सदस्यता से तुरंत हटाया जा सकता है।"

25. मूल अधिनियम की धारा 83 की उप–धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान रखे जा सकते हैं, जैसे किः–

"(1) अधिनियम के तहत जिला रजिस्ट्रार को किसी सोसायटी द्वारा दायर सभी दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा और किसी भी नागरिक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत इसका उपयोग किया जा सकता है।"

"(2) उस हद तक, अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक सोसायटी को एक सार्वजनिक कार्यालय माना जाएगा और जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से लागू करेगा और समय–समय पर संशोधित हरियाणा सूचना का अधिकार नियम के तहत निर्धारित शुल्क के अनुरूप अपने सदस्यों को आवश्यक जानकारी की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

26. हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट, 2012 में संशोधन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव, माननीय सीएम की मंजूरी प्राप्त करने के लिए पहले ही सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है और उसके बाद एलआर हरियाणा द्वारा कानूनी पुनरीक्षण किया जाएगा। सीएमएम की बैठक में प्रस्तावित संशोधन ज्ञापन के हिंदी संस्करण से भी छूट दी जा सकती है। इसलिए संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

****